रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224714 CG-DL-E-27012021-224714

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] No. 341] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 373(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2021 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबध, अर्थात्–

- (i) अध्याय ४ की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उप धारा (2) से उप धारा (4), धारा 80, धारा 82 और धारा 83, तिमलनाडु राज्य के धर्मापुरी जिले और रानीपेट जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. एस-38013 / 04 / 2020-एस.एस.I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

506 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2021

- **S.O.** 373(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of February, 2021, as the date on which the provisions of the said Act, namely,-
  - (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
  - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75. sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI, shall come into force in all the areas of, Dharmapuri district and Ranipet district, in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/04/2020-SS.I] VIBHA BHALLA, Jt. Secy.